

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2284

दिनांक 12 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

आरडीएसएस के तहत उपभोक्ता सेवा को बेहतर बनाए जाने के लिए जारी किए गए दिशानिर्देश

2284. श्री बिद्युत बरन महतो:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत देश भर में चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट मीटर लगाकर उपभोक्ता सेवा, ऊर्जा दक्षता और वित्तीय अनियमितता में सुधार के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जारी किए गए दिशानिर्देश का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपभोक्ता सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय स्तर पर स्थापित निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारत सरकार (जीओआई) ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचलानात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से जुलाई 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की।

वितरण अवसंरचना हेतु स्कीम के तहत निधि जारी करना एटीएंडसी हानियों जैसी वित्तीय मापदंडों और आपूर्ति की औसत लागत और औसत राजस्व प्राप्त के बीच अंतर सहित विभिन्न मापदंडों के निमित्त वितरण यूटिलिटी के निष्पादन से संबंधित है। इससे वितरण यूटिलिटी की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है।

उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर और प्रणाली स्मार्ट मीटर की संस्थापना भी आरडीएसएस के तहत एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है जो उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करता है, बड़ी हुई संग्रह दक्षता के माध्यम से डिस्कॉम के लिए बेहतर वित्तीय अनुशासन और वितरण प्रणाली की बेहतर ऊर्जा लेखांकन प्रदान करता है।

उपभोक्ता श्रेणियों के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर की संस्थापना को सरकारी प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक, औद्योगिक और उच्च-भार वाले उपभोक्ताओं के लिए प्राथमिकता दी जा रही है और इसके बाद में लाभों के प्रदर्शन के आधार पर इसे अन्य उपभोक्ताओं को भी उपलब्ध कराया जाएगा।

इस स्कीम के तहत, राज्यों/वितरण यूटिलिटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर 19.79 करोड़ उपभोक्ताओं, 2.11 लाख फीडरों और 52.53 लाख वितरण ट्रांसफार्मरों (डीटी) के स्मार्ट मीटरों सहित कुल 20.33 करोड़ स्मार्ट मीटरों के लिए स्मार्ट मीटरिंग कार्यों को मंजूरी दी गई है और 4.19 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। अन्य स्कीमों के तहत स्मार्ट मीटर भी लगाए गए हैं, जिनमें राज्यों की अपनी स्कीमों भी शामिल हैं। विभिन्न स्कीमों के तहत देश भर में कुल 5.59 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं।

स्मार्ट मीटरिंग के लिए उपभोक्ता अनुभव और विश्वास में सुधार करने के लिए, मंत्रालय ने विभिन्न परामर्शिकाएं और मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की हैं जिनमें शामिल हैं:

- i. बिल में छूट के माध्यम से प्रीपेड मीटर संस्थापना के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन;
- ii. स्मार्ट मीटर द्वारा दर्ज अधिकतम मांग के आधार पर उपभोक्ता पर कोई जुर्माना नहीं;
- iii. आसान किशतों में पिछले बकाया की वसूली के लिए तंत्र;
- iv. स्मार्ट मीटर की सटीकता में विश्वास बढ़ाने के लिए चेक मीटर की स्थापना।

उपभोक्ताओं के लिए निम्नलिखित लाभों की परिकल्पना की गई है:

- i. वास्तविक खपत के आधार पर सटीक बिलिंग, त्रुटि को समाप्त करना और पारदर्शिता में सुधार करना।
- ii. उपभोक्ता-विशिष्ट डैशबोर्ड वाले मोबाइल ऐप जो खपत को अनुकूलित करने और खर्चों को कम करने के लिए डेटा प्रदान करते हैं।
- iii. टाइम-ऑफ-डे खपत को सक्षम करना उपभोक्ताओं का खर्च बचाने के लिए भार स्थानांतरित करने हेतु सशक्त बनाता है।
- iv. स्मार्ट मीटर रिचार्ज की सुविधा के साथ छोटे रिचार्ज।
- v. रूफटॉप सौर संस्थापना के लिए नेट-मीटरिंग की सुविधा।

स्मार्ट मीटर वितरण यूटिलिटी को स्वचालित ऊर्जा लेखांकन, बेहतर लोड पूर्वानुमान, मांग पक्ष प्रबंधन के लिए डेटा विश्लेषण के उपयोग और ऊर्जा परिवर्तन के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा प्रदान करने जैसे लाभ प्रदान करने में भी मदद करते हैं। ये लाभ अंततः उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाओं और कम लागत के रूप में मिलते हैं।

(ख) : आरडीएसएस के तहत निष्पादित कार्यों की निगरानी केंद्रीय स्तर पर नोडल एजेंसियों, अर्थात् पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड के माध्यम से की जा रही है, तथा परियोजनाओं को मंजूरी देने और उनकी प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय स्तर पर एक अंतर-मंत्रालयी निगरानी समिति का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर, संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वितरण सुधार समिति (डीआरसी), स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी और निरीक्षण करती है।

इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय ने उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ करने और उपभोक्ता सेवाओं को बढ़ाने के लिए विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 जारी किए हैं। इन नियमों के अनुसार, वितरण यूटिलिटी में विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच(सीजीआरएफ) स्थापित किए गए हैं। यदि कोई उपभोक्ता यूटिलिटी द्वारा प्रदान किए गए समाधान से असंतुष्ट है, तो वे समाधान के लिए सीजीआरएफ और आगे लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं।
